

राजस्थानसरकार
निदेशालयकोषएवंलेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 7931

दिनांक:- 29-09-2025

कार्यालय आदेश

श्री निखिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.- 726211) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी कोटा के पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 06.01.2020 व 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण(अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 01.05.2025 से 09.05.2025 तक (कुल 09 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री निखिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। इनकी परिवीक्षाधीन अवधि उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ाया जावेगा।

त.

भ./

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 7931

दिनांक:- 29-09-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी कोटा।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. श्री निखिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.- 726211) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी कोटा।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)